थायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मो0न0 - 153/2021

शनवान -

1. सरवती पुत्री जयलाल पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी दडबाकलां त0 व जिला सिरसा।

वादीया

बनाम

1. लेखराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासीगण भांगवा तहसील भादरा।
2. किशनाराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासीगण भांगवा त0 भादरा।
3. सन्तोष उर्फ गुडडी पत्नी स्व0 मनीराम जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा।
4. शांति देवी पुत्री जयलाल पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी दडबाकलां त0 व जिला सिरसा।
5. भूला देवी पुत्री जयलाल पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी निगथला त0 व जिला सिरसा।
6. चमेली पुत्री जयलाल पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी अरनीयावाली त0 व जिला सिरसा।
7. भतेरी पुत्री जयलाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी अरनीयावाली त0 व जिला सिरसा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा भादरा।
9. सब रजिस्टार भादरा तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री महेन्द्र जागिड़ वादीया
श्री नरेश प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 20/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 33/86 के खसरा सं0 136 की कुल 4.5520है0 में विदामी पत्नि जयलाल, मनीराम-लेखराम-किशनाराम पि0 जयलाल के नाम 1/4 हिस्सा व खाता सं0 68/59 के खसरा सं0 335 की 2.0230है0 विदामी पत्नि जयलाल, मनीराम-लेखराम-किशनाराम पि0 जयलाल के नाम तथा इसी प्रकार खाता सं0 69/60 के खसरा सं0 187 की कुल 3.7050 है0 में बिदामी पत्नि जयलाल का 33-1/4 हिस्सा, लेखराम-किशनराम पि0 जयलाल 6-1/2 हिस्सा व मनीराम पि0 जयलाल का 53-1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादीया के पिता की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। लेकिन वादीया के पिता के देहान्त के बाद उपरोक्त वाद भूमि वादीया की

माता व वादीया के भाई लेखराम किशनाराम तथा मनीराम ने वादीया व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 जो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 की बहनें है को छुपाकर अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 तथा मनीराम ने अपनी बहनों सरबती, कमला , भूंला, चमेली तथा भतेरी को बतौर वारिसान छुपाकर नामान्तरण सं0 202 दिनांक 02.06.1994 अपने व अपनी माता बिदामी के नाम दर्ज करवा लिया। तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद उन्होने वाद भूमि के हिस्से बैय कर दिये। इस प्रकार गलत नामान्तरण दर्ज करवाकर वादीया व प्रतिवादी सं0 3 ता 7 के हक हिस्सों को प्राभावित किया गया। अतः वादीया अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1, 2 तथा 4 ता 7 ने जवाब पेश किया । प्रतिवादी सं0 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 8 व 9 ने भी जवाब दावा पेश किया। तनकी कायम की गई।

जिसके बिन्दू निम्नानूसार है :–**तनकी के बिन्दू सं0 1** –आया वाद भूमि जयलाल की पुश्तैनी कृषि भूमि थी। जयलाल की मृत्यु के बाद उनके सभी कानूनी वारिसान कुल वाद भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हुए ? – वादीया

बिन्दू सं0 02 – आया नामान्तरणसं0 202 में स्व0 जयलाल के सभी वारिसो के नाम दर्ज नहीं होने के कारण नामान्तरण अशुद्व, शून्य व प्रभाहिन है ? – वादीया

बिन्दू सं0 03 – आया अशुद्व नामान्तरण सं0 202 के ताबे दर्ज खातेदारी होने के बाद अपने कानूनी हिस्सा 1/8–1/8 से अधिक बेचान कृषि भूमि के हिस्सा को उनके यानि बिदामी, लेखराम , मनीराम के हिस्सा से कम अथवा समायोजित कर पुनः विधि अनुसार खातेदार घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे ? – वादीया

बिन्दू सं0 4– आया वाद भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की प्रतिवादी वाद भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नही करे ? – वादीया

साक्ष्य वादी में वादीया सरबती पुत्री जयलाल के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें जमाबंदी भांगवा के खाता सं0 33/86 प्रर्दश 1 खाता सं0 68/59 व 59/60 प्रर्दश 2 विरासतन नामान्तरण प्रर्दश स 3 प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीया भतेरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

ती (राजस्व, ा-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि पहले वादीया के पिता की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। लेकिन वादीया के पिता के देहान्त के बाद उपरोक्त वाद भूमि वादीया की माता व वादीया के भाई लेखराम किशनाराम तथा मनीराम ने वादीया व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 जो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 की बहनें है को छुपाकर अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 तथा मनीराम ने अपनी बहनों सरबती, कमला , भूंला, चमेली तथा भतेरी को बतौर वारिसान छुपाकर नामान्तरण सं0 202 दिनांक 02.06.1994 अपने व अपनी माता बिदामी के नाम दर्ज करवा लिया। तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद उन्होने वाद भूमि के हिस्से

बैय कर दिये। इस प्रकार गलत नामान्तरण दर्ज करवाकर वादीया व प्रतिवादी सं0 3 ता 7 के हक हिस्सों को प्रभावित किया गया। अतः मुताबिक अनुतोष व तनकीयात वाद वादीया डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमने द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीया ने अपने पिता से विरासतन नामान्तरण के जरिये दर्ज वाद भूमि में अपने हकों की घोषणा चाही है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में कायम तनकी का बिन्दुवार निर्णय किया जाना उचित है।

तनकी का बिन्दू सं0 01 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित वाद भूमि प्रदर्श 3 से वादीया की पैतृक सम्पति सिद्ध है। जिसमें वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का हक हिस्सा निहित होना साबित होता है।

बिन्दू सं0 02 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था प्रस्तुत नामान्तरण 202 में से स्पष्ट अंकित है कि जयलाल के वारिसान बिदामी पत्नि जयलाल, लेखराम–किशनाराम–मनीराम पि0 जयलाल ही है जबकि वादीया व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 को जयलाल के वारिसान के रूप में नहीं दर्शाया गया है। प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर जयलाल के जायज वारिसान में वादीया व प्रतिवादी सं0 1, 2 तथा 4 ता 7 है। इस प्रकार जयलाल के सभी वारिसों को छूपाकर उक्त नामान्तरण दर्ज किया गया है। जो न्यायसंगत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वर्तमान में बदामी पत्नि जयलाल तथा मनीराम पुत्र जयलाल का देहान्त हो चूका है मनीराम के जायज वारिसान में प्रतिवादीया सं0 3 मौजूद है। इस प्रकार बिन्दू सं0 2 वादीया के पक्ष में साबित है।

बिन्दू सं0 03 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था उक्त नामान्तरण सं0 202 दर्ज होने पर जयलाल के हिस्से पर बिदामी पत्नि जयलाल, लेखराम–किशनाराम–मनीराम पि0 जयलाल खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड दर्ज हुए जिन्होने नामान्तरण सं0 275, 458, 426, 330 के जरिये उक्त वाद भूमि के अलावा अपना हिस्सा बैय कर दिया। विरासतन नामान्तरण सं0 202 दिनांक 02.06.1994 को तस्दीक किया गया है। जिसके बाद बिदामी आदि के द्वारा जरिये बैयनामा उपरोक्त नामान्तरण दर्ज किये गये है जिन्हे वादीया अथवा प्रतिवादी सं0 4 ता 7 के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गई है। अतः बिदामी आदि द्वारा बैय की गई भूमि यदि समायोजित की जाती है तो उक्त खातेदारों के नाम कोई भी कृषि भूमि शेष नहीं रहती है जो और अधिक जटिलता और परेशानियों को उत्पन्न करने वाली स्थिति है। अतः बिन्दू स0 3 वादिया के पक्ष में पूर्णतयाः साबित नहीं है।

बिन्दू सं0 4 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था चूकिं उक्त वाद घोषणात्मक वाद है जिसमें वादीया के हकों की घोषणा की जानी है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा भी जवाब पेश कर घोषणा चाही गई है। तो अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता वादीया को प्रतित नहीं होती है। इस प्रकार बिन्दू संख्या 4 वादीया का साबित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार तनकीवार व मुताबिक अनुतोष वाद–वादीया आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 33/86 के खसरा सं0 136 की कुल 4.5520है0 में बिदामी पत्नि

जयलाल, मनीराम–लेखराम–किशनाराम पि0 जयलाल के नाम 1/4 हिस्सा व खाता सं0 68/59 के खसरा सं0 335 की 2.0230है0 विदामी पत्नि जयलाल, मनीराम–लेखराम–किशनाराम पि0

जयलाल के नाम तथा इसी प्रकार खाता सं0 69/60 के खसरा सं0 187 की कुल 3.7050 है0 में बिदामी पत्नि जयलाल का 33–1/4 हिस्सा, लेखराम–किशनराम पि0 जयलाल 6–1/2 हिस्सा व मनीराम पि0 जयलाल का 53–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के उपरोक्त तीनों खातों में बिदामी पत्नी जयलाल (फौत) तथा मनीराम पुत्र जयलाल (फौत) का नाम कलमजन किया जाकर तथा लेखराम व किशनाराम की बजाय वादीया सरवती तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

सि0नं0 - 153 / 2021

उनवान :-

1. सरवती पुत्री जयलाल पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी दड़बाकलां त0 व जिला सिरसा।

वादीया

बनाम

1. लेखराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासीगण भांगवा तहसील भादरा।
2. किशनाराम पुत्र जयलाल जाति जाट निवासीगण भांगवा त0 भादरा।
3. सन्तोष उर्फ गुड्डी पत्नी स्व0 मनीराम जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा।
4. शांति देवी पुत्री जयलाल पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी दड़बाकलां त0 व जिला सिरसा।
5. भूला देवी पुत्री जयलाल पत्नी बलबीर जाति जाट निवासी निगथला त0 व जिला सिरसा।
6. चमेली पुत्री जयलाल पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी अरनीयावाली त0 व जिला सिरसा।
7. भतेरी पुत्री जयलाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी अरनीयावाली त0 व जिला सिरसा।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा भादरा।
9. सब रजिस्टार भादरा तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेन्द्र जागिड़ व वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 33 / 86 के खसरा सं0 136 की कुल 4.5520है0 में विदामी पत्नि जयलाल, मनीराम–लेखराम–किशनाराम पि0 जयलाल के नाम 1 / 4 हिस्सा व खाता सं0 68 / 59 के खसरा सं0 335 की 2.0230है0 विदामी पत्नि जयलाल, मनीराम–लेखराम–किशनाराम पि0 जयलाल के नाम तथा इसी प्रकार खाता सं0 69 / 60 के खसरा सं0 187 की कुल 3.7050 है0 में विदामी पत्नि जयलाल का 33–1 / 4 हिस्सा, लेखराम–किशनराम पि0 जयलाल 6–1 / 2 हिस्सा व मनीराम पि0 जयलाल का 53–1 / 4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के उपरोक्त तीनों खातों में विदामी पत्नी जयलाल (फौत) तथा मनीराम पुत्र जयलाल (फौत) का नाम कलमजन किया जाकर तथा लेखराम व किशनाराम की वजाय वादीया सरवती तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)